न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर
36/2024

तारीख रजू
06.09.2024

तारीख निर्णय
30.05.2025

1. प्रहलाद पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी नारायणपुर, तहसील तलावडा
2. चतरी देवी पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी नारायणपुर, तहसील तलावडा

——प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्योजी मीना निवासी नारायणपुर तहसील तलावडा
2. बाबूलाल पुत्र रामकरण मीना निवासी नारायणपुर तहसील तलावडा
3. बत्तीलाल पुत्र रामकरण मीना निवासी नारायणपुर तहसील तलावडा
4. हरि पुत्र श्योजी मीना निवासी नारायणपुर तहसील तलावडा
5. कैलाश पुत्र शंकर मीना निवासी हीरापुर तहसील तलावडा
6. स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 913 रकबा 0.41 है0, ख0न0 927 रकबा 0.62 है0 ग्राम नारायणपुर मे स्थित है। इसी प्रकार भूमि ख0न0 926 रकबा 0.50 है0 प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य डौलमेड को लेकर आये दिन विवाद पैदा होते रहते है। अप्रार्थीगण ने सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा किया तो प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.6.2024 को करवा लिया लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को भी मानने का तैयार नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि ख0न0 925 व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न0 929 है तथा पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी कैलाश की खातेदारी भूमि ख0न0 92[illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मध्य स्थित [illegible] पर प्रार्थीगण के हक मे पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को [illegible] भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रहलाद वगैरा बनाम जगदीश वगैरा, प्रा0पत्र 128 एल0आर0एक्ट

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 92, 94, 244 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरुप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है। अतः प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने का आदेश दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 913 रकबा 0.41 है0, ख0न0 927 रकबा 0.62 है0, ख0न0 926 रकबा 0.50 है0 ग्राम नारायणपुर तहसील तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested